gramme originating station of AIR is one of the scheme proposed to be implemented during the Sixth Plan period. A site has been selected for setting up the studies at Sangli. The local revenue authorities have written to the State Government recommending allotment of this site to AIR. Further action will be taken by AIR after the site is made available.

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमीनि एसोसियेशन, बम्बई द्वारा ज्ञापन

8337. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एल्युमिनि एसोसियेशन, बम्बई से निर्यात के बारे में दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें की गई मांगों का स्वरूप क्या है;

(घ) उनमें से कितनी मांगें स्वीकार की गई और कैसे तथा कब;

(ङ) अब तक स्वीकार न की गई मांगों का स्वरूप क्या है और इनके क्या कारण हैं; और

(च) अब तक विचार न की गई मांगों पर कब और कैसे विचार किया जायेगा तथा उन्हें पूरा किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (च). इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमीनि एसोसियेशन, बम्बई के अध्यक्ष ने 19 दिसम्बर, 1977 (प्रश्न के भाग (क) में यथा उल्लिखित—20 दिसम्बर, 1977 नहीं) को जांच निदेशक, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को निर्यात गृहों" जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहे कहे गये हैं तथा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत बड़े घरानों से सम्बन्धित हैं, के कार्यों की जांच की प्रार्थना करते हुए पत्र भेजा था। जांच निदेशक ने इस पत्र को एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यापार आयोग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित कर दिया । आयोग ने, परीक्षा करने के पश्चात् इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एल्यूमीनि एसोसिएशन के अध्यक्ष को अपने 8 जनवरी, 1978 के पत्र द्वारा एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(1) के अन्तर्गत तथ्यों की जो निर्यात गृहों द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होन को नियत करते हैं, विशेषत: बड़े घरानों के सम्बन्ध में व्यापारिक संघ का गठन करते हैं तथा उनके द्वारा निर्धारित नियम, जिसमें संगठन के नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध थोपे गये हैं, को लिखते हुए आयोग के पास शिकायत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । उनका ध्यान एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 15(ग), जो कतिपय मामलों में आदेशों के आवेदनपत्र पर प्रतिबन्ध निर्धारित करती है, पर ही दिलाया गया था । इस पत्र का आयोग द्वारा अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है ।

आकाशवाणी, भोपाल के कर्मचारियों की अनियमितताओं की शिकायतें

8338. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, भोपाल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं करने के बारे में जनवरी और फरवरी, 1979 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो क्या शिकायतें की गई थीं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, भोपाल के कर्मचारियों को वहां के कुछ अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है तथा कर्मचारी लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार से शिकायतें कर रहे हैं और यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) क्या सरकार को यह शिकायतें भी मिली हैं कि वहां के अधिकारियों की भूतपूर्व सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ सांठ-गांठ है तथा वे बार-बार वर्तमान सरकार के विरुद्ध उनके वक्तव्यों और नीतियों का प्रसारण करते हैं तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इस केन्द्र में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा वे अपना निजी व्यापार भी कर रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) . आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक के विरुद्ध दिनांक 27 जनवरी, 1979 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उनकी निष्ठा और केन्द्र के कुछ कर्मचारियों के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में विभिन्न आरोप लगाये गये हैं । इसी प्रकार की एक शिकायत पहले अक्तूबर, 1978 में "युग धर्म" के सम्पादक से प्राप्त हुई थी । आकाशवाणी महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अक्तूबर, 1978 में प्राप्त आरोपों की जांच की थी और उन्हें तथ्यहीन पाया था । दिनांक 27 जनवरी, 1979 की शिकायत में दिये गये आरोपों की हाल ही में आकाशवाणी महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की गई है । जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।